बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 228614 पटना, दिनांक 17-04-2015

ग्रा.वि.-14(म0)न0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

श्री सिकन्दर शर्मा, बि0प्र0से0,
सम्प्रति सेवा निवृत्त।
(तत्कालीन उप विकास आयुक्त, नवादा)

निबंधित

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप उप विकास आयुक्त, नवादा के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके जिला को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके जिला से संबंधित जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
9460.78	₹ 12961271.60/-

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 9460.78 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अत: आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि की वसूली की जाए।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 16/4/15
(प्रदीप कुमार)
सचिव

अनुलग्नक- यथोक्त।

पत्रांक 228614 पटना, दिनांक 17-04-2015

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया पत्र का तामिला अनुलग्नक सहित श्री सिकन्दर शर्मा, बि0प्र0से0, सम्प्रति सेवा निवृत्त। (तत्कालीन उप विकास आयुक्त, नवादा) के स्थायी पते पर कराकर उन्हें ससमय इस विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश देने की कृपा करेंगे।

(हस्ताक्षर)
सचिव 16/4/15

जिला का नाम:- नवादा

जिला परिषद:- नवादा

क्रम सं0	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	के0 एन0 मल्लिक, भा0प्र0से0	26940.74	16633.43	10307.31	1159742.1	12961272.6
2	श्री मुकेश कुमार सिंह, बि0प्र0से0					
3	श्री सिकन्दर शर्मा, बि0प्र0से0					

पंचायत समिति/ प्रखंड स्तर पर:-

क्रम सं0	प्रखंड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नवादा सदर	कमलेश कुमार सिंह	9154.78	2644.59	6510.19	201000	8717960.3
2	सिरदल्ला	सत्येन्द्र कुमार मिश्र	7245.89	4760.15	2485.74	0	3405463.8
3	अकबरपुर	शिवेन्दु रंजन	2340.98	1622.47	718.51	207856.4	776502.3
4	नारदीगंज	अरविन्द कुमार झा	1599.65	1465.71	133.94	30016.7	153481.1
5	हिसुआ	शत्रुघन कामती	3084.18	2513.28	570.9	360764	421369
6	गोविन्दपुर	रमेश शर्मा	521.52	510.9	10.62		14549.4
7	मेसकौर	अपूर्व कुमार मधुकर	579	122	457	0	626090
8	रजौली	विजय कुमार	5140.25	4028.08	1112.17	110500.1	1413172.8
9	वारिसलीगंज	अमरेन्द्र कुमार सिन्हा	4829.35	2304.39	2524.96	847976	2611219.2
10	कौआकोल	अवधेश राम	4227.22	3330.95	896.27	2050	1225839.9
11	पकड़ी बरावां	रामाश्रय कुमार	1487.75	1275.97	211.78	57328	232810.6
12	रोह	रामगोपाल पाण्डेय	4240.18	1671.2	2568.98	464838.2	3054664.4

No. [illegible] New Delhi
Dated 27 December, 2005

To

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : ***Transition From the SGRY and the NFFWP towards the implementation of NREGA in Districts identified.***

Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee [illegible] once NREGA [illegible] in [illegible] the [illegible] Government of India [illegible] SGRY towards NREGA [illegible] year of [illegible]. [illegible] demand for employment would [illegible] SGRY [illegible] works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts [illegible] who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section [illegible] of the [illegible] State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan [illegible] SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For [illegible] NFFWP [illegible] works on NFFWP pattern [illegible] every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

Contd...2/-

अनुभाग [illegible]
ग्रामीण विकास विभाग
[illegible]
[illegible] ......
दिनांक ......

under NREGA and SGRY NFFWP [illegible] 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in consonance with the [illegible] under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be [illegible] by the line departments and other [illegible]. [illegible] under SGRY, the allocation of [illegible] and 30% to Intermediate Panchayat [illegible] the spirit of the Act [illegible] Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP [illegible] a number of agencies. [illegible] in this financial year [illegible] of works have not been [illegible] for execution by the Gram Panchayat [illegible] that if new works are [illegible] this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to [illegible] these issues and [illegible] instructions to the all concerned including the Collectors and other [illegible] authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

(Amita Sharma)
Joint Secretary

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक [illegible] /ग्रा०वि०(ज०), दिनांक— [illegible]

8 [illegible]40/06

प्रतिलिपि, सभी उप विकास आयुक्तों को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।